भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2107

जिसका उत्तर 12 मार्च, 2020 को दिया जाना है।

22 फाल्गुन, 1941 (शक)

सोशल मीडिया निगरानी अभिकरण को भुगतान आधार पर कार्य पर नियोजित किया जाना

2107. श्री ए. के. सेल्वाराज :

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि यूआईडीएआई ने सोशल मीडिया निगरानी अभिकरण को भुगतान आधार पर कार्य पर नियोजित करने के अपने निर्णय को छोड़ने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि उक्त कदम सोशल मीडिया मंचों पर निगरानी करने के लिए उठाया गया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री संजय धोत्रे)

(क) : जी, हां।

(ख) : उपर्युक्त निविदा दिनांक 18.07.2018 को यूआईडीएआई द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्रय (सीपीपी) पोर्टल के माध्यम से प्रकाशित की गई और इस पर आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई और इसलिए स्वत: ही रद्द हो गई।

(ग) : जी, नहीं।

(घ) : यह लागू ही नहीं होता है।

*****